संकल्प

नई दिल्ली. 9 दिसंबर 2013

सं. 15/1/2010-पारेषण.—पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देश।

पारेषण परियोजनाओं के विकास के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देश संकल्प सं. 11/5/2005-पीजी (ii), दिनांक 13 अप्रैल, 2006 द्वारा अधिसूचित किये गए थे और विद्युत अधिनियम, 2003 के

प्रावधानों के अंतर्गत समय-समय पर संशोधित किए गए थे । उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में एतदुद्वारा निम्नांकित संशोधन किए जाते हैं :

1. पारेषण हेतु लाइसेंस पैरा 20 – तीसरे वाक्य में शब्दों **"30 दिन"** को बदलकर **"10 दिन"** कर दिया गया है ।

चौथे वाक्य में शब्दों **"तीस दिन"** को बदलकर **"दस दिन"** कर दिया गया है ।

घनश्याम प्रसाद, निदेशक

RESOLUTION

New Delhi, the 9th December, 2013

No. 15/1/2010-Trans.—Guidelines For Encouraging Competition in Development of Transmission Projects

The Guidelines for Encouraging Competition in Development of Transmission Projects had been notified *vide* Resolution No.11/5/2005-PG (ii), dated 13th April, 2006 and as amended from time to time under the provisions of the Electricity Act, 2003.

The following amendments are hereby made in the above Guidelines:

1. LICENSE FOR TRANSMISSION Para 20 - The words '30 days' in third sentence have been replaced by '10 days'. The words 'thirty days' in fourth sentence have been replaced by 'ten days'.

GHANSHYAM PRASAD, Director